

संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित सामाजिक नीति और योजना में अंतरनिहित मूल्यों को विस्तारपूर्वक समझाइए।

प्रस्तावना

भारत का संविधान केवल शासन की व्यवस्था का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय एवं मानव कल्याण का भी आधार है। संविधान में निहित प्रस्तावना (Preamble), मौलिक अधिकार (Fundamental Rights), राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) तथा मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) सामाजिक नीति एवं योजनाओं की आधारशिला हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों में निहित मूल्य सरकार को ऐसी नीतियाँ एवं योजनाएँ बनाने की प्रेरणा देते हैं जो समाज के प्रत्येक नागरिक के समग्र विकास एवं कल्याण को सुनिश्चित करें।

संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ

संवैधानिक प्रावधान वे सिद्धांत, अधिकार एवं नियम हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित हैं और जिनका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना है।

सामाजिक नीति का अर्थ

सामाजिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा विकास के लिए कार्यक्रम एवं योजनाएँ बनाती है।

सामाजिक योजना का अर्थ

सामाजिक योजना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक नीति के उद्देश्यों को योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के माध्यम से व्यवहार में लागू किया जाता है।

संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित सामाजिक नीति एवं योजना में अंतरनिहित मूल्य

1. सामाजिक न्याय (Social Justice)

भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है।

मुख्य बिंदु

- सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करना।
- जाति, धर्म, लिंग एवं वर्ग के आधार पर भेदभाव समाप्त करना।
- कमजोर वर्गों को संरक्षण देना।

महत्त्व

सामाजिक असमानता कम होती है।

समाज में समान अवसर उपलब्ध होते हैं।

2. समानता (Equality)

संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।

मुख्य बिंदु

- कानून के समक्ष समानता।
- अवसरों की समानता।
- अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- उपाधियों का अंत।

महत्त्व

सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।

सामाजिक समरसता को बढ़ावा।

3. स्वतंत्रता (Liberty)

संविधान नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

महत्त्व

व्यक्तित्व का विकास।

लोकतंत्र को मजबूती।

मानव अधिकारों की रक्षा।

4. बंधुत्व (Fraternity)

बंधुत्व का अर्थ सभी नागरिकों में भाईचारे एवं पारस्परिक सम्मान की भावना विकसित करना है।

महत्त्व

राष्ट्रीय एकता।

सामाजिक सद्भाव।

सहयोग एवं सहिष्णुता।

5. मानव गरिमा (Human Dignity)

प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है।

महत्त्व

मानव अधिकारों की रक्षा।

शोषण एवं भेदभाव से मुक्ति।

सम्मानजनक जीवन।

6. धर्मनिरपेक्षता (Secularism)

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।

मुख्य बिंदु

सभी धर्मों को समान सम्मान।

धार्मिक स्वतंत्रता।

धार्मिक भेदभाव का अभाव।

महत्त्व

सामाजिक सद्भाव।

राष्ट्रीय एकता।

7. समाजवाद (Socialism)

समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक समानता स्थापित करना है।

महत्त्व

गरीबी उन्मूलन।

संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण।

सामाजिक सुरक्षा।

8. लोकतंत्र (Democracy)

भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार सामाजिक नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करती है।

महत्त्व

जनसहभागिता।

पारदर्शिता।

उत्तरदायित्व।

9. कल्याणकारी राज्य (Welfare State)

संविधान राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करने का निर्देश देता है।

मुख्य क्षेत्र

शिक्षा

स्वास्थ्य

रोजगार

सामाजिक सुरक्षा

महिला एवं बाल विकास

महत्त्व

जीवन स्तर में सुधार।

गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी।

10. कमजोर एवं वंचित वर्गों का संरक्षण

संविधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के विकास पर विशेष बल देता है।

महत्त्व

सामाजिक न्याय।

समान अवसर।

समावेशी विकास।

11. समावेशी विकास (Inclusive Development)

सामाजिक नीति का उद्देश्य विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाना है।

महत्त्व

ग्रामीण एवं शहरी विकास।

महिलाओं एवं युवाओं का सशक्तिकरण।

क्षेत्रीय असमानताओं में कमी।

12. सतत विकास (Sustainable Development)

वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना।

महत्त्व

पर्यावरण संरक्षण।

प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग।

भावी पीढ़ियों का हित।

संवैधानिक मूल्यों पर आधारित प्रमुख सामाजिक योजनाएँ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

आयुष्मान भारत योजना

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

समग्र शिक्षा अभियान

निष्कर्ष

भारतीय संविधान सामाजिक नीति एवं सामाजिक योजनाओं का मूल आधार है। इसमें निहित सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, मानव गरिमा, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य, समावेशी एवं सतत विकास जैसे मूल्य भारत की सभी सामाजिक नीतियों और योजनाओं को दिशा प्रदान करते हैं। इन मूल्यों के माध्यम से सरकार समाज के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर गरीब, वंचित एवं कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक सुरक्षा तथा समान अवसर सुनिश्चित करने का

प्रयास करती है। अतः संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक नीति एवं योजना एक न्यायपूर्ण, समतामूलक एवं कल्याणकारी समाज के निर्माण का सशक्त माध्यम है।

संदर्भ ग्रंथ

हिंदी

1. सिंह, सुरेन्द्र. (2018). भारत में सामाजिक नीति. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
2. अहलूवालिया, एस. पी. (2012). सामाजिक नीति एवं सामाजिक विकास. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।
3. दुबे, श्यामाचरण. (2001). भारतीय समाज. नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।
4. शर्मा, रामनाथ. (2014). भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याएँ. आगरा: अटलांटिक पब्लिशर्स।

English

1. Richard M. Titmuss. (1974). Social Policy: An Introduction. London: George Allen & Unwin.
2. T. H. Marshall. (1965). Social Policy. London: Hutchinson.
3. James Midgley. (2014). Social Development: Theory and Practice. London: Sage Publications.